स्वागत भाषण

सीएंडएजी

माननीय राष्ट्रपति जी,

माननीय लोक सभा अध्यक्ष,

माननीय लोक लेखा समिति अध्यक्ष,

मेरा विशिष्ट पूर्वगामी श्री टी.एन. चतुर्वेदी, श्री वी.एन. कॉल और श्री विनोदराय लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के नामित सदस्य

सरकार से वरिष्ठ अधिकारी, लेखापरीक्षा और लेखा फ्रटर्नटी के सदस्य,

देवियों और सज्जनों

महालेखाकार के 27वें सम्मेलन के इस उदघाटन समारोह में आपका स्वागत करना भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यधिक सम्मान का विषय है। हम राष्ट्र सम्मेलन का उदघाटन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने और अपनी उपस्थिति से हमें प्रेरित करने के लिए हम राष्ट्रपति जी के आभारी हैं। महोदय, प्रशासन के विभिन्न मामलों पर आपके विस्तृत अनुभव और वृहत् ज्ञान के साथ, हम आपके शब्दों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

2. हमें श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीया लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संसद के प्रति कार्यपालिकाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैडम हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणा की आशा करते है।

3. सीएजी को लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में परिभाषित किया गया है। हम प्रो. के.वी. थॉमस, माननीय अध्यक्ष, पीएसी की उपस्थिति से सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वे हमारे संगठन की ताकत और सहारे का एक स्रोत हैं।

4. यूएस के चौथे राष्ट्रपति और यूएस संविधान के निर्मातओं में से एक, जेम्स मैडिसन ने कहा था और मैं उल्लेख करता हूँ, ''सरकार के निर्माण में, जिसमें व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाना हो, इसमें बहुत सी समस्यायें हैं: सर्वप्रथम आपको शासित को नियंत्रित करने हेतु सरकार को सक्षम बनाना चाहिए; और फिर उनको इन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। लोगों पर निर्भरता निसंदेह रूप से सरकार पर मूल नियंत्रण

है; लेकिन अनुभव से मनुष्य ने सीखा है, अतिरिक्त सावधानियों की आवश्यकता''। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसी एक सावधानी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संस्था है जिसे संविधान द्वारा सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में लोगों की मदद करने का कार्य सौंपा गया है।

5. स्वतंत्रता, विश्वसनीयता एवं समयबद्धता हमारा मूल मंत्र है। मुझे गर्व है कि यह संस्था अपनी स्थापना से अब तक स्वतंत्रता एवं वस्तुनिष्ठता की कसौटी से गुजरा है। संस्था की विश्वसनीयता हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता से प्रकट होती है। समयबद्धता नीति-निर्माण को प्रभावित करने एवं कार्यान्वयन में सुधार हेतु लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाने में मदद करती है।

6. हमारे अधिदेश के अनुसरण में हम प्रत्येक वर्ष पचास हजार से अधिक संस्थागत इकाईयों की लेखापरीक्षा करते हैं और संसद और राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली 135 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करते हैं। इनमें सरकारों को लगभग पंद्रह सौ सिफारिशें होती हैं।

7. हम वार्षिक रूप से संघ और राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्थानीय निकायों और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पांच हजार पांच सौ लेखाओं का

सत्यापन करते हैं। हम राजस्व के अन्य स्रोतों और करों, शुल्क के गलत निर्धारण और कम वसूली को इंगित करते हुए सार्वजनिक कोष में योगदान करते हैं।

8. हमारे लेखाकरण और हकदारी कार्यों के रूप में हम राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण वित्तीय एमआईएस प्रदान करते हैं। वार्षिक रूप से हम सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 5.5 लाख कर्मचारियों के पेंशन का निर्धारण करते हैं और 23 राज्य सरकारों के लगभग 41 लाख कर्मचारियों की भविष्य निधियों का प्रबंधन करते हैं।

9. हम पिछले दो दशकों से 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बाह्य लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान करते हुए वैश्विक विकास में योगदान कर रहे हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी शामिल है। जुलाई 2014 में भारत के सीएजी को छः वर्ष की अवधि के लिए यूएन लेखापरीक्षा बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।

10. शासन की बदलती गतिशीलता और समाज की अपेक्षाओं ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। पूरे विश्व में सार्वजनिक लेखापरीक्षकों के समक्ष पोस्टमार्टम विश्लेषण तक उनको सीमित करने की बजाए

एक परियोजना की जीवन चक्र के दौरान हस्तक्षेप करने की मांग उठ रही है। चूँकि सार्वजनिक सेवाओं और परियोजनाओं में अधिक से अधिक निजी लोग शामिल हैं इसलिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा एक नई चुनौती है।

11. हमें आशा है कि हम मजबूत लेखापरीक्षा ढाँचा तैयार करके और उभरते क्षेत्रों में अपनी क्षमता का निर्माण करके इन चुनौतियों को पूरा कर लेंगे। हमारा प्रयास शासन के सुधार में लेखापरीक्षा के प्रभाव में वृद्धि हेतु रणनीतियाँ बनाना है।

12. महालेखाकारों का द्विवार्षिक सम्मेलन हमारे लिए एक साथ विचार-विमर्श करने तथा उभरती चुनौतियों से निपटने में हमारी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करता है। सम्मेलन पर चार महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित किया जा सकता है। इसमें ''लेखापरीक्षा में उभरते क्षेत्र'' जैसे- सार्वजनिक निजी भागीदारी और विनियामक निकायों पर विचार-विमर्श शामिल है। हम शासन पर लेखापरीक्षा प्रभाव बढ़ाने के माध्यमों और संसद से अधिक अर्थपूर्ण पारस्परिक प्रभाव पर भी विचार-विमर्श करेंगे। हम नई जिम्मेदारियों निभाने हेतु विभाग क्षमता को मजबूत करने वाले माध्यमों की भी खोज करेंगे। लेखाकरण एवं हकदारी कार्यों में सामना की गई चुनौतियाँ सम्मेलन का अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा है।

13. सम्मेलन के भाग के रूप में हमने ''लोक हित में रिपोर्टिंग-सीएजी की लेखापरीक्षा का मूल्य और प्रभाव'' पर एक पैनेल परिचर्चा भी आयोजित किया है। इसका उद्देश्य लोकहित वाली हमारी प्रतिवेदनों और इसके बढ़ते प्रभाव को समामेलित करने का माध्यम खोजना है। बाहरी हितधारकों का परिप्रेक्ष्य देने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से प्रख्यात व्यक्तियों को इस चर्चा में बुलाया जाएगा।

14. मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन की परिचर्चा से हमारा संस्था और अधिक मजबूत बनेगा। इस उदघाटन सत्र के दौरान हमारे प्रख्यात अतिथियों द्वारा दिए गए व्याख्यान से हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलेगी।

15. मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी का हमारे साथ बहुमूल्य समय बिताने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं पुन: माननीया लोकसभा अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का इस अवसर पर पधारने हेतु हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सभी सम्मानित अतिथियों और मीडिया के सदस्यों को भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग एवं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ।

जय हिन्द